...ायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

...ाल संख्या:– 289/2019

निर्णय दिनांक :–22.01.2021

...नवानी प्रार्थना पत्र :

भूरी देवी पत्नि श्री छोटूलाल जाति माली उम्र 45 वर्ष निवासी हीरापुरा (रामसागर) तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीया –

बनाम

तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

उपस्थिति :–
श्री रमेश कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीया

– अप्रार्थी–

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता संख्या 39 खसरा नम्बर 365/229 रकबा 1.45 है0 किता 1 कुल रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का रामसागर तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थीया की उक्त भूमि के पहले राजकीय सिवायचक भूमि आराजी ख. नं. 229 रकबा 10.67 है0, ख. नं. 241 रकबा 0.44 है0, ख. नं. 249 रकबा 1.15 है0, ख. नं. 250/361 रकबा 0.25 है0 स्थित है। प्रार्थीया की खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि में आने–जाने हेतु उक्त वर्णित राजकीय भूमि में कुछ दूरी तक ही ग्रेवल रोड़ बना हुआ है। प्रार्थीया इसी रास्ते को उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है तथा शेष रास्ते की भूमि पर अन्य लोगो ने अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रास्ते की भूमि पर अन्य लोगो ने अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया पास के आने–जाने व काश्तकारी कार्य करने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। लेकिन विधिवत रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीया को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थीया को उक्त भूमि में से रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अपनी भूमि में आने–जाने उपभोग– उपयोग करने हेतु उक्त वर्णित भूमि में से 30 फिट रास्ता नियमानुसार दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड नियमानुसार दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड मे रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार भू. अभि. निरीक्षक धुंवाकला द्वारा वाके ग्राम हीरापुरा का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट/जवाब पेश किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने के लिए मुताबिक रिकॉर्ड कोई रास्ता दर्ज नहीं है, किन्तु वर्तमान में मौके पर ख. नं. 241, 249, 229 वाके ग्राम हीरापुरा में रास्ता बना हुआ है और चालू है। इस प्रकार प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थीया के उस उपरोक्तानुसार मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण रासते की आवश्यकता अत्यन्तिक नहीं है तथापि मौके पर बने रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया को आराजी तक रास्ता दिया जाता है तो खसरा नम्बर 241 में से 9 मीटर चौड़ाई एवं मीटर लम्बाई यानि 720 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 249 में से 9 मीटर चौड़ाई एवं 140 मीटर

ानि 1260 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 229 में से 9 मीटर चौड़ाई एवं 200 मीटर लम्बाई 1800 वर्गमीटर क्षैत्रफल कुल 3780 वर्गमीटर क्षैत्रफल का रास्ता होगा। उक्त तीनों रान सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि रोड़ एवं आबादी से लगभेग 100 टर दूर है । प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डीएलसी दर 237006/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। डीएलसी दर से दुगनी प्रतिकर राशि 174410/–रूपये होती है। आवेदक की आराजी ख. नं. 365/229 रकबा 1.45 है0 किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम हीरापुरा खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया खसरा नम्बर 241, 249, 229 में से रास्ता चाहती है। जिसको लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार नहीं है। खसरा नम्बर 241, 249, 229 सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। मौका रिपोर्ट के साथ मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, संलग्न कर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि तहसीलदार दूनी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी जिसके अनुसार तहसीलदार दूनी द्वारा दर्शाया गया रास्ता सिवाचयक भूमि में से होकर है जिस पर कई प्रभावशाली व्यक्तियो ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण प्रार्थीया को अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना आवश्यक है।

पेरोकार सरकार दूनी ने पेश की गई रिपोर्ट को ही अपनी बहस बताया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी भूमि आराजी ख. नं. 365/229 रकबा 1.45 है0 किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम हीरापुरा दूनी में स्थित है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने के लिए मुताबिक रिकॉर्ड कोई रास्ता दर्ज नहीं है, किन्तु तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में मौके पर ख. नं. 241, 249, 229 वाके ग्राम हीरापुरा में रास्ता बना हुआ है और चालू है। इस प्रकार प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थीया के पास उपरोक्तानुसार मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं है तथापि मौके पर बने रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे कथन किया है कि तहसीलदार दूनी द्वारा दर्शाया गया रास्ता सिवाचयक भूमि में से होकर है जिस पर कई प्रभावशाली व्यक्तियो ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी में आ जा नहीं सकती है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की आराजी में आने जाने के लिए सिवायचक भूमि में से रास्ता है और चालू है। प्रार्थीया केवल सुविधा व सुखाचार के लिए रास्ता चाहती है। अतः प्रार्थीया को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक न होकर केवल सुखाचार के लिए है। जिसके कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाना तहसीलदार के प्रमुख कर्तव्यो में से एक है जिससे आमजन के लिए आने जाने में सुगमता हो सके। अतः तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर सिवायचक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर रिपोर्ट 30 दिवस में पेश करने की सुनिश्चितता करे।

निर्णय खुले न्यायालय को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली